

# न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां

आदेश - पत्रक

RTPS APPLICATION NO. 0288

(देखे अभिलेख 941 का नियम 26)

तारीख 21.02.13 से 25.04.13 तक

21.02.13

जिला - पटना

केश का प्रकार:-दाखिल खारीज

दाखिल खारीज बाद सं०

18

/2013-2014

अनुमंडल- पटना सिटी

हल्का सं० 03

तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी तारीख सहित												
21.02.13	<p>श्री/श्री मती <u>दिनेश सिंह</u></p> <p>पिता/पति श्री/श्री मती <u>स० राम केवल सिंह</u></p> <p>ग्राम <u>पियरिया</u> पो० <u>अमरकपुर</u> थाना <u>गौरीचर</u></p> <p>जिला <u>पटना</u> ने केवाला सं० <u>6588</u> दिनांक <u>21.11.12</u> के आधार पर निम्नलिखित जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन दाखिल किया है:-</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">मौजा का नाम</th> <th style="text-align: left;">थाना सं०</th> <th style="text-align: left;">खाता सं०</th> <th style="text-align: left;">खेसरा</th> <th style="text-align: left;">रकबा(ए.-डि में)</th> <th style="text-align: left;">लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>अमरकपुर</u></td> <td><u>63</u></td> <td><u>338</u></td> <td><u>4697</u></td> <td><u>0-19</u></td> <td><u>2.00</u></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">मूल आवेदन पर हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें। अभिलेख दिनांक <u>28.02.13</u> को उपास्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचलधिकारी फतुहां।</p>	मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा	रकबा(ए.-डि में)	लगान	<u>अमरकपुर</u>	<u>63</u>	<u>338</u>	<u>4697</u>	<u>0-19</u>	<u>2.00</u>	
मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा	रकबा(ए.-डि में)	लगान									
<u>अमरकपुर</u>	<u>63</u>	<u>338</u>	<u>4697</u>	<u>0-19</u>	<u>2.00</u>									
28.02.13	<p>अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्म० का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है।</p>													
5.03.13	<p>हल्का कर्म० ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी विकेता / प्राक्कर्ता / पूर्व विकेता / दानकर्ता <u>ओम प्रकाश सिंह सं० स० धुपकी सिंह</u> के नाम से कायम है। प्रश्नगत जमीन गै०म०मा/आम,मू-दान,मू-हदवंदी एवं सैरात से मुक्त है। है। आवेदक/आवेदिका का दखल कब्जा है। तदनुसार जमाबंदी रैयत को खास सूचना एवं महल पर आम सूचना निर्गत कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक <u>16/04/13</u> को उपास्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचलधिकारी फतुहां।</p>	<p style="font-size: 2em;">↓</p> <p>अंचलधिकारी फतुहां।</p>												

अवेदा/क

P.T.O.

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहा

आदेश

हल्का सं०.....०३..... दाखिल खारीज बाद सं०.....१८...../2013-2014

तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
8.04.13 15.04.13	<p>अभिलेख उपस्थापित। महाल पर निर्गत जमाबन्दी रैयत (विक्रेता/पावरदाता/पूर्व विक्रेता) को निर्गत खास नोटिस तथा निर्गत आम सूचना का तामिला प्राप्त है। आज तक किसी का आपत्ति प्राप्त नहीं है। अतः हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन वर्तमान में दखल कब्जा व अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर लगान वसूली के मद्देनजर दाखिल खारिज की स्वीकृत दी जाती है तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित ↓ अंचलधिकारी फतुहा।</p>	<p>↓ अंचलधिकारी फतुहा।</p>